भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4962
दिनांक 01 अप्रैल, 2025 / 11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वायनाड में भूस्खलन

†4962. श्री शफी परम्बिल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या के संबंध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) वायनाड में भूस्खलन में अभी भी लापता लोगों की संख्या के संबंध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया कुल मुआवजा कितना है;

(घ) क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार को और अधिक मुआवजा देने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): यह मंत्रालय भूस्खलन सहित किसी भी आपदा के कारण मृत्यु/गुमशुदगी व्यक्तियों का डेटा केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखता है। हालाँकि, केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायनाड में भूस्खलन के कारण कुल 298 मौतें हुई हैं, इनमें से 32 लापता व्यक्तियों को 06.02.2025 की GO(Rt)NO.57/2025/DMD के अनुसार मृत घोषित किया गया है।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान/दावा के मुआवजे के लिए।

लोक सभा अता. प्र. सं. 4962, दिनांक 01.04.2025

केरल के वायनाड में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के मद्देनजर, केंद्र सरकार द्वारा गठित आईएमसीटी ने 8 अगस्त से 10 अगस्त, 2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 के भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ के लिए 153.47 करोड़ रुपये (एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन) की राशि, बचाव और राहत के लिए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के हेलीकॉप्टरों की सेवा का उपयोग करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक रूप में हवाई बिलों के लिए सहायता और मलबे की सफाई के लिए वास्तविक व्यय, की मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केरल राज्य सरकार को 388.00 करोड़ रुपये (291.20 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 96.80 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा) की राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय हिस्से की 145.60 करोड़ रुपये की पहली किस्त 31.07.2024 को जारी की गई। 01.10.2024 को राज्य को अग्रिम रूप से केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के 145.60 करोड़ रुपये की राशि भी जारी कर दी गई। इसके अलावा, महालेखाकार, केरल ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 394.99 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

इसके अलावा, राज्य ने आपदा-पश्चात आवश्यकता-मूल्यांकन (पीडीएनए) अभ्यास आयोजित किया, जिसमें रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 2219 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार ने एक बहु-क्षेत्रीय टीम का गठन किया था और रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन पर दिशानिर्देशों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

******